

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत राज्य योजना में डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि०मी० 6 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.805 हे० सिविल वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.056 हे० कुल 0.861 हे० सिविल भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम का नाम -सुमल्टा
तहसील-कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत राज्य योजना में डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि०मी० 6 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.861 हे० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सुमल्टा द्वारा दिनांक 04-04-2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सुमल्टा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सुमल्टा
तहसील-कर्णप्रयाग

ह०/-
ग्राम प्रधान
दिनांक 04-04-2021
कोलाडुंग्री
कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रपत्र--23.1

दिनांक ...04-04-2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम - सुगल्टा

[illegible]

ह0 / -
ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत राज्य योजना में डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि०मी० 6 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.805 हे० सिविल वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.056 हे० कुल 0.861 हे० सिविल भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम का नाम -कोलाडुंग्री
तहसील-कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत राज्य योजना में डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि०मी० 6 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.861 सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम कोलाडुंग्री द्वारा दिनांक 4/04/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोलाडुंग्री के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम पंचायत अधिकारी
क्षेत्र-चमोली
ग्राम सचिव, कर्णप्रयाग



ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23.1

दिनांक 04/04/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम - कोलाडुंग्री

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री भालचन्द्र डिमरी	भालचन्द्र डिमरी
2	॥ वान सिंह रावत	वान सिंह
3	॥ बलवन्त सिंह रावत	बलवन्त सिंह
4	॥ जमवीर सिंह लोपाल	जमवीर सिंह
5	॥ जयप्रकाश अणिलाल	जयप्रकाश
6	॥ राकेशचन्द्र डिमरी	राकेशचन्द्र
7	॥ प्रेम सिंह लोपाल	प्रेम सिंह
8	॥ विशुपाल लाल	विशुपाल
9	॥ महिपाल सिंह रावत	महिपाल सिंह
10	॥ जीवन्त सिंह लोपाल	जीवन्त सिंह
11	॥ प्रशान्त रावत	प्रशान्त रावत
12	॥ सन्दन सिंह रावत	सन्दन सिंह
13	॥ सुरेन्द्र सिंह लोपाल	सुरेन्द्र सिंह
14	॥ देवन्द प्रसाद, अणिलाल	देवन्द प्रसाद
15	॥ हनुमान सिंह लोपाल	हनुमान सिंह
16	॥ भद्रीर सिंह रावत	भद्रीर सिंह
17	॥ दशन सिंह रावत	दशन सिंह
18	॥ जयचन्द सिंह रावत	जयचन्द सिंह
19	॥ विजय सिंह लोपाल	विजय सिंह
20	॥ विक्रम सिंह लोपाल	विक्रम सिंह

ह0/-
ग्राम प्रधान



कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत राज्य योजना में डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि०मी० 6 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.805 है० सिविल वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.056 है० कुल 0.861 है० सिविल भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि०मी० 6 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.805 है० सिविल वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.056 है० कुल 0.861 है० सिविल भूमि का लोक निर्माण विभाग, गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग दिनांक 3.1.2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री वेभव गुप्ता, उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री वेभव गुप्ता उपजिलाधिकारी कर्णप्रयागअध्यक्ष

2- श्री नन्दप्रसाद उप प्रभागीय वनाधिकारीसदस्य

3- श्री सतीश चन्द सहायक समाज कल्याण अधिकारीसदस्य

4- श्री श्रीमती देवी क्षेत्र पंचायत सदस्यसदस्य

5- श्री श्रीमती देवी क्षेत्र पंचायत सदस्यसदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को अवगत करवाते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि०मी० 6 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है० सिविल भूमि का लो०नि०वि० गौचर, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा डिम्बर के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उपप्रभागीय वनाधिकारी, नन्दप्रसाद, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि०मी० 6 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है० सिविल भूमि का लो०नि०वि० गौचर को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-कर्णप्रयाग
जनपद -चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- कर्णप्रयाग
जनपद-चमोली

FORM-1

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

Dated-12-08-2021

No---

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.861 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of new motor road "Dimmar- Sumalta motor road K.M. 6 to Village Koladungri Motor road " in Chamoli district falls within jurisdiction, Koladungri and Sumalta village (s) in Karanpryag tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.861 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Koladungri and Sumalta' sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिला अधिकारी
Signature
Chamoli

(Full name and official seal of the District Collector)

District Social Welfare Officer
Chamoli

प्रभागीय वनाधिकारी
बदीनाथ कल प्रभाण गोपेश्वर
(चमोली)

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

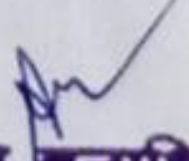
A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Himanshu Khurana I.A.S District Magistrate Chamoli on date 12-08-2021 at time 11.00 AM at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 1.6135 hec for the construction of "Dimmar- Sumalta motor road K.M. 6 to Village Koladungri Motor road" and forest land 0.861 hec under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanprayag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 12-08-2021


District Social Welfare Officer
Chamoli


प्रभागीय वनाधिकारी
बडीकाव वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)


District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
जिला अधिकारी
चमोली